

प्रेस-विज्ञप्ति
थाना-मेंहनगर

**25 हजार इनामिया शातिर व बउवापार बरदह डबल मर्डर की घटना को अंजाम देने में सम्मिलित
अपराधी पुलिस मुंठभेंड में गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया,गैगेस्टर से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 01.07.2021 को समय के करीब 00.22 प्रभारी निरीक्षक बरदह श्री विनय कुमार मिश्रा को मुखबीर से सूचना मिली कि दिनांक 27.06.2021 को बऊवापार गाँव में हुए हत्या के मुकदमें का वांछित अभियुक्त चोरी की मोटरसाईकिल के साथ थाना क्षेत्र मेहनगर में मौजूद है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बरदह ने प्रभारी निरीक्षक मेंहनगर से मुखबिर की सूचना से अवगत कराया। थाना बरदह एवं थाना मेहनगर पुलिस टीम द्वारा खरीहानी मार्ग पर एक मोटरसाईकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस बल को देखते ही वह भागने लगा। जिसका पीछा करते हुए प्रभारी निरीक्षक बरदह एवं प्रभारी निरीक्षक मेहनगर की संयुक्त टीम द्वारा पीछा करते हुए करनेहुआ स्थित बाबा भीमराव अम्बेडकर बाल विद्या मन्दिर के सामने अभियुक्त गिर गया जिसको पुलिस टीम द्वारा दोनों तरफ से घेर लिया गया। पुलिस बल से अपना आप को धिरता देख अभियुक्त ने अपने पास लिए असलहे से पुलिस पार्टी पर लक्ष्य कर फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा प्रशिक्षित तरिके से अपना बचाव कर नियंत्रित जबाबी फायरिंग में अपराधी के बांये पैर में गोली लगी। घायल अभियुक्त के पास पहुचकर नाम पता पुछने पर राजन सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी-सादीपुर थाना-बरदह जनपद आजमगढ़ बताया। भागने का कारण पुछने पर उसने बताया कि दिनांक 27.06.2021 को मैंने ग्राम बउवापार थाना बरदह जनपद आजमगढ़ में डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया था। मौके पर तलाशी से अभियुक्त के पास से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, तीन खोखा कारतूस 315 बोर तथा एक अदद चोरी की मोटरसाईकिल हिरो स्प्लेडर (बिना नम्बर) के बरामद हुआ। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त के उपर 25 हजार का इनाम घोषित था। पुलिस टीम द्वारा घायल अभियुक्त को मेंहनगर चिकित्सालय में इलाज हेतु ले जाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में ही में 10 अभियोग पंजीकृत है। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मेहनगर पर मु०अ०सं० 140/21 धारा 307/41/411 भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रीम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

राजन सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी-सादीपुर थाना-बरदह जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 140/21 धारा 307/41/411 भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 212/15 धारा 41/411/413/414/420/467/468/471 भादवि थाना बरदह आजमगढ़
2. मु०अ०सं० 24/16 धारा 110जी सीआरपीसी थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
3. मु०अ०सं० 22/16 धारा 307 भा०द०वि० थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
4. मु०अ०सं० 57/16 धारा 3(4) गुण्डा अधि० थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
5. मु०अ०सं० 97/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
6. मु०अ०सं० 97/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीआरपी मुलगसराय जनपद चंदौली।

7. मु0अ0सं0 202/19 धारा 147/504/506 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ ।
- 8 मु0अ0सं0 222/20 धारा 10 गुण्डा अधि0 थाना बरदह जनपद आजमगढ ।
9. मु0अ0सं0 141/21 धारा 147/148/149/452/302/307 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ (25 हजार रूपये का ईनामिया)

बरामदगी

1. एक अदद हिरो स्प्लेंडर(बिना नम्बर)
2. एक अदद देशी तमंचा 315 बोर
3. एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
4. तीन खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. थाना प्रभारी मेहनगर सुनील चंद तिवारी मय हमराह थाना मेहनगर जनपद आजमगढ ।
2. थाना प्रभारी बरदह विनय मिश्रा मय हमराह थाना बरदह जनपद आजमगढ ।